Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 267/2026, B.P. 308/2026, B.P. 309/2026, 310/2026
Kadwa P.S. Case No. 341/2025

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

B.P.No. 2672026
Kadwa P.S. Case No- 341/2025

1. मो0 कादिर पिता सगीर अहमद उर्फ मो0 सगीरूद्दीन,उ0त0– 34 वर्ष
निवासीः– ग्राम– चिचोरा, थानाः– कचना, जिला–कटिहार।......................आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।
अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0स0लो0अ0श्रीः....... सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्रीः ....शिवानन्द पाण्डेय।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B.P. 308/2026
Kadwa P.S. Case No- 341/2025

2. रूकसेद पिता मो0 महबूब आलम, उम्र 25 वर्ष
साकिन– अबादपुर सबरा, थाना– अबादपुर , जिला– कटिहार। .... आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार ।.. अभियोजन।
अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता अ0स0लो0अ0 श्रीः... सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री .... रविन्द्र कुमार।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B.P. 309/2026
Kadwa P.S. Case No- 341/2025

3. मो0 तैयब पिता मो0 मंजित, उ0त0 23 वर्ष
साकिन– धरमपुर , थाना– आबादपुर, जिला– कटिहार। ....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। ....अभियोजन।
अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता अ0स0लो0अ0 श्रीः..... सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री ....रविन्द्र कुमार।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B.P. 310/2026
Kadwa P.S. Case No- 341/2025

4. मो0 अंजार पिता अब्दुल मन्नान, उम्र 23 वर्ष
साकिन– पारागांव, थाना– कचाना , जिला– कटिहार। .... आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार। .... अभियोजन।
अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता अ0स0लो0अ0 श्रीः... सरदार यशवंत सिंह।
आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री .... रविन्द्र कुमार।
उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीष, नवम्, कटिहार।

Web copy of Civil Court Katihar

Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
B.P.No. 267/2026, B.P. 308/2026, B.P. 309/2026, 310/2026
Kadwa P.S. Case No. 341/2025

Date 16-04-2026

आदेश

1. प्रस्तुत चारो जमानत आवेदन दिनांक 17.02.2026 से काराधीन अभियुक्तगण की ओर से क्रमशः दिनांक 09.03.2026, 18.03.2026, 18.03.2026 तथा 18.03.2026 को उनके विद्वान अधिवक्तागण द्वारा सशपथपत्र नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को प्राप्त करायी गयी है। चारों नियमित जमानत आवेदन पत्र एक ही थाना कांड से संबंधित होने के कारण चारो जमानत आवेदन पर एक साथ सुनवाई कर आदेश पारित किया जाता है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक तजामुल हक ने थाना प्रभारी कदवा को लिखित आवेदन देते हुए कथन किया है कि कटिहार जिला के कदवा थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम बौरा मिलिक में मेरा सोना चांदी का दुकान ताज ज्वेलर्स है। यह दुकान मैं वर्ष 2016 से चला रहा हूँ। दिनांक 17.12.2025 को ग्रामीणों द्वारा समय 5:30 बजे मुझे फोन आया कि मेरा दुकान का शटर टूटा है और सामान बिखड़ा पड़ा है। खबर मिलते ही मैं अपने दुकान पर पहुंचा तो पाया कि मेरा दुकान का शटर टूटा हआ है और सामान विखरा हुआ है। जब दुकान में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरा को चेक किया तो पाया कि दिनांक 17.12.2025 को समय करीब 1:00 बजे रात को चार लोग सभी अपना चेहरा को मोफलर वगैरह से छिपाये हुए सभी सामान्य कद–काठी का तथा सभी का उम्र करीब 20–25 वर्ष का लग रहा था, वे सभी मिलकर दूकान के शटर को तोड़ रहे हैं तथा शटर तोड़ने के बाद उन्हीं में से एक जो पतला तथा लम्बा है वह व्यक्ति दूकान के अंदर चला गया और दूकान के अंदर शोकेस में रखे करीब आठ किग्रा चांदी का ज्वैलरी कीमत करीब 17,00,000/– रूपया का चोरी कर लिया। सभी अज्ञात चोरों का हुलिया दुकान में लगे सी0सी0टी0वी0 में कैद है, जिसे मैं आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूँ।
3. जमानत आवेदन के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द पाण्डेय एवं रविन्द्र कुमार तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह को सुना।
4. अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि आवेदकगण की ओर से यह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदकगण द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई जमानत आवेदन विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक मो0 कादिर, रूकसेद, मो0 तैयब के विरूद्ध दो आपराधिक इतिहास तथा आवेदक मो0 अंजार के विरूद्ध तीन आपराधिक इतिहास दर्ज है। आवेदकगण पूर्णतः निर्दोष हैं तथा उन्होने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध आरोपित धाराएं का मामला नहीं बनती है। आवेदकगण स्थानीय जमानतदारों को न्यायालय की संतुष्टि के लिए उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। अतः न्यायहित में आवेदकगण को जमानत पर रिहा किया जाये।
5. विद्वान अपर लोक अभियोजक सरदार यशवंत सिंह के द्वारा आवेदकगण के जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि आवेदकगण द्वारा किया गया कृत्य गंभीर प्रकृति का अपराध है, जिसके लिए वे जमानत प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।
6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि मो0 तजामुल हक के लिखित आवेदन के आधार पर अज्ञात चोर के विरूद्ध कदवा थाना कांड संख्या– 341/2025 दिनांक 17.12.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 334(1),303(2) के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। कांड दैनिकी के कंडिका 2, 3, 4 में साक्षियों ने प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया है। कांड दैनिकी के कंडिका 24 से विदित है कि मुफ्फसिल थाना पूर्णिया कांड संख्या– 273/2025 दिनांक 17.12.2025 अन्तर्गत धारा 334(1),303(2) भारतीय न्याय संहिता में अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान के क्रम में अभियुक्त मो0 अंजार पिता अब्दुल मन्नान एवं मो0 तैयब पिता मो0 मंजीत को गिरफ्तार किया गया है तथा इन अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने दिनांक 17.12.2025 को बौरा स्थित ताज ज्वेलर्स में इन्हीं के द्वारा दूकान के शटर को तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। कंडिका 27, 33 से विदित है कि सह–अभियुक्तों के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर अन्य आवेदकगण को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है तथा दिनांक 17.02.2026 को आवेदकगण को पूर्णिया मुफ्फसिल थाना कांड संख्या– 273/2025

Web Copy Civil Court Katihar

दिनांक 17.12.2025 से इस मामले में रिमांड किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण के विरूद्ध आपराधिक इतिहास दर्ज है। आवेदकगण के जमानत आवेदन में भी आवेदक मो0 कादिर, रूकसेद, मो0 तैयब के विरूद्ध दो आपराधिक इतिहास तथा आवेदक मो0 अंजार के विरूद्ध तीन आपराधिक इतिहास दर्ज होने की बात कहा गया है। मामला अभी अनुसंधान के क्रम में है।

7. उपरोक्त संपूर्ण विवेचन तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदकगण के आपराधिक इतिहास एवं उनके द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य की प्रकृति तथा उसकी गंभीरता एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए आवेदकगण को नियमित जमानत आवेदन का लाभ दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, तदनुसार आवेदक 1. मो0 अंजार, 2. मो0 कादिर, 3. रूकसेद, 4. मो0 तैयब द्वारा दाखिल जमानत आवेदन क्रमशः दिनांक 09.03.2026, 18.03.2026 को न्यायहित में **खारिज** किया जाता है। आवेदकगण को अधिकार होगा कि वह मामले में आरोप गठन के बाद पुनः नियमित जमानत आवेदन दाखिल कर सकेंगे।

कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति संबंधित विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्
कटिहार।

Web Copy of Civil Court, Katihar